(b) Yes, Sir.

(c) It is too early to quantify the amount.

भारत पर्यटन विकास निगम होटल के बगिया रेस्टोरेंट का ठेका दिया जाना

*35. **श्री राघवजी:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अशोक यात्री निवास स्थित बगिया रेस्टोरेंट का ठेका किन-किन व्यक्तियों को कब और कितनी राशि पर दिया गया था;

(ख) "बगिया" के ठेके के लिए और कितने टेंडर प्राप्त हुये थे और उन्हें अस्वीकार करने के क्या कारण थे;

(ग) क्या बगिया रेस्टोरेंट के ठेकादार ने कुछ शर्तों का उल्लंघन किया था; यदि हां, तो ठेका समाप्त क्यों नहीं किया गया; और

(घ) कम राशि पर ठेका देने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं और क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) अशोक यात्री निवास के लान में एक बार-बी-क्यू रेस्तरां चलाने हेतु स्थान की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए 10 नवम्बर, 1994 को मैसर्स एस्कैल होटल एंड रेस्तरांज इनकार्पोरेटिड को एक ठेका दिया गया था, जिसमें निम्नलिखित पांच भागीदार हैं:—

1. श्री ललित किशोर सचदेवा
2. श्री वीरेन्द्र कुमार नागपाल
3. श्री मनोज मलिक
4. श्री आर० पी० सचदेवा
5. श्री सुशील कुमार शर्मा

जिस लाइसेंस फीस पर सहमति हुई, वह रेस्तरां की बिक्री का 21% थी जो 3.01 लाख रु० प्रति वर्ष की कम-से-कम गारंटी राशि की शर्त के अधीन थी।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

निविदा के विज्ञापन की तारीख	विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त निविदाओं की संख्या	टेंडर अवार्ड कमेटी द्वारा नामंजूर करने के कारण
24.7.93	3	प्रस्तावित राशि को कम माना गया।
20/27 नवम्बर, 1993	4	शार्टलिस्टिड पार्टी, जिसे लाइसेंस का आवंटन किया जाना था, अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रही।
10.4.94	4	चार निविदाकर्ताओं में से दो, क्षेत्र में अनुभवी थे और इस प्रकार दो निविदाओं पर विचार करना प्रतिस्पर्धात्मक दरें नहीं दे सकता।

(ग) यह रेस्तरां मुश्किल से आठ महीने के लिए चालू रहा था। इस अवधि के दौरान, पट्टे की शर्तों के उल्लंघन के कुछ मामले प्रबंधन के ध्यान में आए तथा प्रबंधन ने परामर्शी पत्र/ठेका समाप्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए

(ख) यह ठेका टेंडर अवार्ड समिति जिसमें श्री सी० एस० जैन, महाप्रबंधक (होटल वित्त), श्री के०के० तुली, महाप्रबंधक (अशोक यात्री निवास), श्री एल०एम० बत्रा रेजिडेंट प्रबंधक (अशोक यात्री निवास), कैप्टन आर० आर० अरोड़ा, प्रबंधक (सतर्कता एवं सुरक्षा) और श्री विजय कुमार, मुख्य लेखा अधिकारी थे, की सिफारिशों तथा श्री एम०एन० गुप्ता, उपाध्यक्ष (होटल्ज) जोकि सक्षम प्राधिकारी थे के अनुमोदन पर दिया गया था। टेंडर अवार्ड समिति के अनुसार बातचीत द्वारा तय की गई लाइसेंस फीस को अलाभकारी नहीं समझा गया था। तथापि गलतियां यदि कोई हैं तो उनका पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है और तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।